राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प 5(3)राज-6/86/राज/6/24 जयपुर, दिनांक 27-6-98

अधिसूचना

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 257 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियमन बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 259 की उप-धारा (1) के परन्तुक के प्रतिनिर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन नियमों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभिधृति (सरकार) संशोधन) नियम, 1998 है।

   (2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. <u>नियम 24 घ घ घ घ का संशोधन</u> :- राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 के नियम 24 घ घ घ घ में विद्यमान खण्ड (2) के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात :-

   " (2 क) उस मामले में, जिसमें ऐसा विक्रय, दान या वसीयत कृषि प्रयोजन के लिए है, शास्ति, जोत के लिए संदेय भू-राजस्व के दस गुने के बराबर होगी।"

राज्यपाल के आदेश से,

(के० पी० सिंघल)

शासन उप सचिव